न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 17/2022(2022/31)

अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा। वादी

बनाम

1. बलवीर पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. सरला पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री राजेश बेनीवाल वादी
श्री अर्जुन बेनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 16/03/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं. 57/58 के मु.नं. 34 के किला नं. 5/5, 5/6, 6/3, 6/4 कुल किता 4 0.1900 हैक्टर नहरी, 0.0630 हैक्टर गै.मु. खाला, मु.न. 35 के किला 01 ता 03, 08 ता 10, 18, 13, 22, 23 कुल किता 10 की 2.5300 हैक्टर नहरी, मु.न. 36 के किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 14 की 2.4780 हैक्टर नहरी, 0.0520 हैक्टर गै.मु. रास्ता, कुल किता 28 का कुल क्षेत्रफल 5.3130, जिसमें नहरी 5.1980 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.0630 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.0520 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 बलवीर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा चन्दूराम की खातेदारी हुआ करती थी। चन्दूराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी सं. 01 बलवीर ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी बलवीर ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 01 ता 03 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी बलवीर के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर को वादी के दादा चन्दूराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो चक 2 एसडीआर सम्वत 2047 खाता संख्या 13/12 व 14/13 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 02 व 03 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक में हिस्सा तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीव प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी कृष्ण कुमार पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–01, जमाबंदी चक 2 एसडीआर संवत 2071–74 खाता संख्या 57/58 प्रदर्श–2, जमांबदी 6 एसडीआर संवत 2073–76 खाता सं. 95/95 प्रदर्श –3 एवं जमाबंदी चक 2 एसडीआर संवत 2046 खाता संख्या 13/12, 14/13 प्रदर्श–4 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं. 57/58 के मु.नं. 34 के किला नं. 5/5, 5/6, 6/3, 6/4 कुल किता 4 0.1900 हैक्टर नहरी, 0.0630 हैक्टर गै.मु. खाला, मु.न. 35 के किला 01 ता 03, 08 ता 10, 13, 18, 22, 23 कुल किता 10 की 2.5300 हैक्टर नहरी, मु.न. 36 के किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 14 की 2.4780 हैक्टर नहरी, 0.0520 हैक्टर गै.मु. रास्ता, कुल किता 28 का कुल क्षैत्रफल 5.3130, जिसमें नहरी 5.1980 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.0630 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.0520 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 बलवीर के नाम कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रतिवादियां सं. 02 व 03 ने अपना हक वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 के हिस्से में त्याग कर शून्य कर लिया, जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं. 57/58 के मु.नं. 34 के किला नं. 5/5, 5/6, 6/3, 6/4 कुल किता 4 0.1900 हैक्टर नहरी, 0.0630 हैक्टर गै.मु. खाला, मु.न. 35 के किला 01 ता 03, 08 ता 10, 13, 18, 22, 23 कुल किता 10 की 2.5300 हैक्टर नहरी, मु.न. 36 के किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 14 की 2.4780 हैक्टर नहरी, 0.0520 हैक्टर गै.मु. रास्ता, कुल किता 28 का कुल क्षैत्रफल 5.3130, जिसमें नहरी 5.1980 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.0630 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.0520 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 बलवीर के नाम कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी कृष्ण कुमार 2/3 व प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी कृष्ण कुमार 2/3 व प्रतिवादी सं 01 बलवीर 1/3 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/03/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 17/2022(2022/31)

अनवान : —

1. कृष्ण कुमार पुत्र बलवीर सिंह जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
वादी

बनाम

1. बलवीर पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. सुनीता पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
3. सरला पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बेनीवाल व वकील प्रतिवादी श्री अर्जुन बेनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं. 57/58 के मु.न. 34 के किला नं. 5/5, 5/6, 6/3, 6/4 कुल किता 4 0.1900 हैक्टर नहरी, 0.0630 हैक्टर गै.मु. खाला, मु.न. 35 के किला 01 ता 03, 08 ता 10, 13, 18, 22, 23 कुल किता 10 की 2.5300 हैक्टर नहरी, मु.न. 36 के किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 13 ता 15 कुल किता 14 की 2.4780 हैक्टर नहरी, 0.0520 हैक्टर गै.मु. रास्ता, कुल किता 28 का कुल क्षैत्रफल 5.3130, जिसमें नहरी 5.1980 हैक्टर, गै.मु. खाला 0.0630 हैक्टर, गै.मु. रास्ता 0.0520 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 01 बलवीर के नाम कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी कृष्ण कुमार 2/3 व प्रतिवादी संख्या 1 बलवीर 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी कृष्ण कुमार 2/3 व प्रतिवादी सं 01 बलवीर 1/3 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/03/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ़